अंचल अधिकारी सिमरिया का कार्यालय

[illegible] वाद संख्या— 73/16-17

वाद का प्रकार— बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत् जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक—2074/रा० दिनांक—13.08.2016 [illegible] अनुज मुखर्जी [illegible] भू–[illegible]–एवं–निबंधन [illegible] राजस्व [illegible] सुधार [illegible] पत्र संख्या—[illegible]/85/2000 [illegible] दिनांक—[illegible] एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या—914/रा० दिनांक—09.12.1999 [illegible] निदेश के अनुपालन में [illegible] खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अं०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा— सिमरिया थाना— सिमरिया खाता संख्या— 147 प्लॉट संख्या— 198 रकबा 05 डी० [illegible] की भूमि [illegible] बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी [illegible] पंजी [illegible] के जिल्द संख्या—............ के पृष्ठ संख्या— 819 पर जमाबंदी रैयत मो० [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन [illegible] के उपर्युक्त [illegible] बिना सक्षम प्राधिकार के [illegible]/ अवैध [illegible] के आधार पर/ अवैध [illegible] बंदोबस्ती के आधार पर/ [illegible] लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य [illegible] लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जाँच किया जाना [illegible] प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को [illegible] निर्गत [illegible] उपर्युक्त भू–[illegible] संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद [illegible] मांग करें तथा [illegible] कारण–पृच्छा [illegible] कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक—............ को उपस्थापित करें।

[illegible] एवं [illegible]

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

E:\Sec.5 New\Award\Jamabandi.docx

तिथि

735/L-17

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
24/11/20	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, धनबाद द्वारा प्राप्त निदेश एवं विभागीय पत्र संख्या–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–14/12/20 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
14/12/20	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदर रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में केवाला दलील, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीद, फॉर्म M, लगान–रसीद, दिनांक 01.01.1946 के पूर्व का निबंधित दस्तावेज एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित ~~किया गया है/~~नहीं किया गया है। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर संबंधित भूमि का हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक–लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें। अभिलेख दिनांक–02/01/21 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
02/01/21	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक–1704/रा0, दिनांक–15.07.2020 एवं विभागीय संकल्प सं0–6144/रा०, दिनांक–21.12.2017 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द	

Scanned with CamScanner

करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–चिरकुण्डा, मौजा नं0–252, खाता सं0–147, प्लॉट सं0–198, रकवा–05 डि गत् सर्वे खतियान के अनुसार **गैर आबाद** खाते की भूमि है। उपरोक्त भूमि शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस–पास 150 मीटर के अन्तर्गत आता है तथा राजपथ/उच्चपथ/मुख्मार्ग के 150–150 मीटर के अन्तर्गत पड़ता है। फलतः उक्त भूमि का जमाबंदी नियमितीकरण नहीं की जा सकती है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध जमाबंदीदार रैयत मो0 समसुद्दीन के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या–819 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–4(h) के तहत् पंजी–II में कायम जमाबंदी संख्या–819 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Scanned with CamScanner